राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(3)दिशा–निर्देश/विधि/पंरा/2024/ जयपुर, दिनांक :

:::: परिपत्र ::::

विषय :– ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों द्वारा पट्टा बही का संधारण किये जाने बाबत्।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय पंचायत समिति स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टों का रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण किसी ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं स्तर पर अनियमित पट्टे जारी करने की सम्भावना रहती है।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 168 के प्रावधान इस प्रकार से हैः–

168. पट्टा बही–(1) नीलामी, परक्रामण या आवंटन द्वारा किये गये समस्त विक्रयों का जिनके लिए पट्टे जारी किये गये, अभिलेख पंचायत द्वारा प्ररूप 24 में रखी गयी पट्टा बही में रखा जायेगा।

(2) पंचायत सम्बंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी को प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में पट्टा बही की एक प्रति अग्रेषित करेगी। विकास अधिकारी एक नियंत्रण रजिस्टर रखेगा जिसमें ऐसे प्राप्त की गयी पट्टा बही के प्रति के आधार पर, मास के दौरान ऐसी पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टों की संख्या के साथ–साथ मास और वर्ष उपदर्शित करते हुए पंचायतवार लेजर रखा जायेगा। विकास अधिकारी सत्यापन के प्रमाण के रूप में ऐसी प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा ताकि पिछली तारीखों में पट्टे जारी करना रोका जा सके।

(3) पंचायत समिति अपने स्तर पर पट्टा बहियां तीन परत में छपवाएगी। ऐसे सभी पट्टों पर पुस्तक संख्या व क्रम संख्या होगी तथा पंचायत समिति स्तर पर पंचायत वार जारी गत पट्टा बहियों का रिकार्ड रखा जाएगा। पट्टे की पहली परत आवंटिती को जारी की जाएगी, दूसरी परत पंचायत कार्यालय में रखी जाएगी व तीसरी परत पंचायत समिति को रिकॉर्ड हेतु भेजी जाएगी। पंचायत समिति उन्हें सुरक्षित रखेगी।

RajKaj Ref
5568629

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Jain
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.02.11 11:12:58 IST
Reason: Approved

अतः समस्त संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 168 में वर्णित उक्त प्रावधानों की पालना कड़ाई से अमल में लाई जाये। उक्त परिपत्र की अवहेलना किये जाने वाले संबंधित विकास अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं प0 राज, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. समस्त मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, राजस्थान।
6. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजस्थान।
7. ए0सी0पी0 पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

उपायुक्त एवं
शासन उप सचिव(प्रथम)

RajKaj Ref
5568629

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Jain
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.02.11 11:12:58 IST
Reason: Approved